

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



सत्यमेव जयते

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 31)

तथा

नियम

[1- सितम्बर, 1978 को यथाविद्यमान]

The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952
(Act No. 31 of 1952)

and

Rules

[As on 1st September, 1978]

1979

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन—
नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली — 110054 द्वारा प्रकाशित।

PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is a diglot edition of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 as on 1st May, 1974 containing the authoritative Hindi text thereof and the, Hindi and English versions of the rules made thereunder. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 2, Vol. III, dated 6th April, 1967 on pages 480 to 489. The Hindi text of the Presidential and Vice -Presidential Elections (Amendment) Act, 1974 which has been incorporated in the main Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 15, Vol. X, dated 13th June, 1974. The Hindi text of the rules was published in the Gazette of India Extraordinary, Part n, Section 3A, dated 21st May, 1974.

The Hindi texts were prepared by the Official Language (Legislative) Commission and were published under the authority of the President under section 5(/) of the Official Languages Act, 1963, and on such publication these became the authoritative texts thereof in Hindi.

NEW DELHI:
1ST JULY, 1974.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

PREFACE TO THE SECOND EDITION

As all the copies of the first diglot edition of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952) have been sold, the second edition is being published, incorporating the amendments made in it till 1st September, 1978. The present edition also gives, legislative history of the Act.

NEW DELHI:
1ST SEPTEMBER, 1978.

S. HARIHAR IYER,
Secretary to the Government of India.

LIST OF AMENDING ACTS

1. The Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Act, 1974 (5 of 1974).
2. The Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Act, 1977 (20 of 1977).

THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1952

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title.
2. Definitions.

PART II

CONDUCT OF PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS

- 3 Returning Officer and his assistants.
- 4 Appointment of dates for nominations, etc
5. Public notice of election.
- 5A. Nomination of candidates.
- 5B. Presentation of nomination papers and requirements for a valid nomination.
- 5C. Deposit.
- 5D. Notice of nominations and the time and place for their scrutiny.
- 5E Scrutiny of nominations.
6. Withdrawal of candidature.
7. Death of candidate before poll.
8. Procedure in contested and uncontested elections.
9. Manner of voting at elections.
10. Counting of votes.
11. Declaration of results.
12. Report of the result.

PART III

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

13. Definitions.
14. Authority to try election petitions.
- 14A. Presentation of petition.
15. Form of petitions, etc., and procedure.
16. Relief that may be claimed by the petitioner.
17. Orders of the Supreme Court.
18. Grounds for declaring the election of a returned candidate to be void.
19. Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.
20. Transmission of orders to the Central Government and its publication.

PART IV

MISCELLANEOUS

- 20A. Return or forfeiture of candidate's deposit.
21. Power to make rules.
- 22 Maintenance of secrecy of voting.
23. Jurisdiction of civil courts barred.

THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1952

(ACT NO. 31 OF 1952)

[14th March, 1952]

An Act to regulate certain matters relating to or connected with elections to the offices of President and Vice-President of India BE it enacted by Parliament as follows: —

PART I PRELIMINARY

- Short title. 1. This Act may be called the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952.
- Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) "article" means an article of the Constitution ;
 - (b) "election" means a Presidential election or Vice-Presidential election ;
 - (c) "Election Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324 ;
 - (d) "elector", in relation to a Presidential election, means a member of the electoral college referred to in article 54, and in relation to a Vice-Presidential election, means ¹[a member of the electoral college referred to in article 66] ;
 - (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (f) "Presidential election" means an election to fill the office of the President of India ;
 - ²[(ff) "public holiday" means any day which is a public holiday for the purposes of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 ;]
 - (g) "Returning Officer" includes an Assistant Returning Officer performing any function which he is ³[competent] to perform under sub-section (2) of section 3 ; 26 of 1881
 - (h) "Vice-Presidential election" means an election to fill the office of the Vice-President of India.

PART II CONDUCT OF PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS

- Returning Officer and his assistants. 3. (1) For the purpose of each election the Election Commission shall, in consultation with the Central Government, appoint a Returning Officer who shall have his office in New Delhi and may also appoint one or more Assistant Returning Officers.

1. Substituted by section 2 of Act 5 of 1974, for "a member of either House of Parliament".
2. Inserted by section 2, *ibid.*
3. Substituted by section 2, *ibid.*, for "authorized".

(2) Subject to rules made under this Act, every Assistant Returning Officer shall be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer.

Appointment of dates for nominations, etc.

4. ¹[(1) The Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint for every election—

(a) the last date for making nominations, which shall be the fourteenth day after the date of publication of the notification under this sub-section, or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday ;

(b) the date for the scrutiny of nominations, which shall be the day immediately following the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday ;

(c) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be the second day after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(d) the date on which a poll shall, if necessary, be taken, which shall be a date not earlier than the fifteenth day after the last date for the withdrawal of the candidatures.]

(2) In the case of the first Presidential and Vice-Presidential elections, the notifications under sub-section (1) shall be issued as soon as may be after both Houses of Parliament have been constituted

(3) In the case of an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of the President or Vice-President, the notification under sub-section (1) shall be issued on, or as soon as conveniently may be after, the sixtieth day before the expiration of the term of office of the outgoing President or Vice-President, as the case may be, and the dates shall be so appointed under the said sub-section that the election will be completed at such time as will enable the President or the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the day following the expiration of the term of office of the outgoing President or Vice-President, as the case may be.

(4) In the case of an election to fill a vacancy in the office of President or Vice-President occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise, the notification under sub-section (1) shall be issued as soon as may be after the occurrence of such vacancy.

Public notice of election.

²[5. On the issue of a notification under sub-section (1) of section 4, the Returning Officer for the election shall give public notice of the intended election in such form and in such manner as may be prescribed, inviting nominations of candidates for such election and specifying the place at which the nomination papers are to be delivered.

Nomination of candidates.

5A. Any person may be nominated as a candidate for election to the office of President or Vice-President if he is qualified to be elected to that office under the Constitution.

1. Substituted by section 3 of Act 5 of 1974, for sub-section (/).
2. Substituted by section 4, *ibid.*, for section 5.

Presentation of nomination papers and requirements for a valid nomination.

5B. (1) On or before the date appointed under clause (a) of subsection (1) of section 4, each candidate shall, either in person or by any of his proposers or seconders, between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon, deliver to the Returning Officer at the place specified in this behalf in the public notice issued under section 5 a nomination paper completed in the prescribed form and subscribed by the candidate as assenting to the nomination, and

(a) in the case of Presidential election, also by at least ten electors as proposers and at least ten electors as seconders ;

(b) in the case of Vice-Presidential election, also by at least five electors as proposers and at least five electors as seconders:

Provided that no nomination paper shall be presented to the Returning Officer on a day which is a public holiday.

(2) Each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector.

(3) The Returning Officer shall not accept any nomination paper which is presented on any day before eleven o'clock in the forenoon and after three o'clock in the afternoon.

(4) Any nomination paper which is not received before three o'clock in the afternoon on the last date appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 4 or to which the certified copy referred to in sub-section (2) of this section is not attached shall be rejected and a brief note relating to such rejection shall be recorded on the nomination paper itself.

(5) No elector shall subscribe, whether as proposer or as seconder, more than one nomination paper at the same election and, if he does, his signature shall be inoperative on any paper other than the one first delivered.

(6) Nothing in this section shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper for the same election:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer.

Deposit.

5C. (1) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he deposits or causes to be deposited a sum of two thousand five hundred rupees:

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination paper for the same election, not more than one deposit shall be required of him under this sub-section.

(2) The sum required to be deposited under sub-section (1) shall not be deemed to have been deposited under that sub-section unless at the time of presentation of the nomination paper under sub-section (1) of section 5B, the candidate has either deposited or caused to be deposited that sum with

the Returning Officer in cash or enclosed with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited by him or on his behalf in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury.

Notice of nominations and the time and place for their scrutiny.

5D. On the presentation of a nomination paper, the Returning Officer shall—

(a) sign thereon a certificate stating the date and time of presentation of the nomination paper and enter thereon its serial number :

(b) inform the person or persons presenting the nomination paper of the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations ; and

(c) cause to be affixed in some conspicuous place in his office a copy of the nomination paper as certified and numbered under clause

Scrutiny of nominations.

5E. (1) On the date fixed for the scrutiny of nominations under subsection (1) of section 4, the candidates, one proposer or one seconder of each candidate and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person, shall be entitled to be present at the time of scrutiny of nominations and the Returning Officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination paper of all candidates which have not been rejected under sub-section (4) of section 5B.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that it shall not be necessary to scrutinise on the date fixed for the scrutiny of nominations the nomination papers already rejected under sub-section (4) of section 5B.

(3) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination paper and may, either on such objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds: —

(a) that, on the date fixed for the scrutiny of nominations, the candidate is not eligible for election as President or Vice-President, as the case may be, under the Constitution; or

(b) that any of the proposers or seconders is not qualified to subscribe a nomination paper under sub-section (1) of section 5B ; or

(c) that the nomination paper is not subscribed by the required number of proposers or seconders ; or

(d) that the signature of the candidate or any of the proposers or seconders is not genuine or has been obtained by fraud ; or

(e) that there has been a failure to comply with any of the provisions of section 5B or section 5C.

(4) Nothing contained in clauses (b) to (e) of sub-section (3) shall be deemed to authorise the rejection of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(5) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial character.

(6) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of sub-section (1) of section 4 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control:

Provided that in case an objection is raised by the Returning Officer or is made by any other person the candidate concerned may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date fixed for scrutiny, and the Returning Officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(7) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.

(8) For the purposes of this section, a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that constituency, unless it is proved that he is subject to any of the disqualifications mentioned in section 16 of the Representation of the People Act, 1950.]

43 of 1950

Withdrawal of candidature.

6. (1) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing in the prescribed form subscribed by him and delivered before three o'clock in the afternoon on the date fixed under clause (c) of sub-section (1) of section 4, to the Returning Officer either by such candidate in person or ¹[by any one of his proposers or seconders] who has been authorized in this behalf in writing by such candidate.

(2) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-section (1) shall be allowed to cancel the notice.

²[(3) The Returning Officer shall, on being satisfied as to the genuineness of a notice of withdrawal and the identity of the person delivering it under sub-section (1), cause the notice to be affixed in some conspicuous place in his office.]

Death of candidate before poll.

7. If a candidate, whose nomination has been made and is found to be in order on scrutiny, dies after the time fixed for nomination and a report of his death is received by the Returning Officer before the commencement of the poll, the Returning Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and report the fact to the Election Commission, and all proceedings with reference to the election shall be commenced anew in all respects as if for a new election:

Provided that no further nomination shall be necessary in the case of a candidate whose nomination was valid at the time of the countermanding of the poll:

Provided further that no person who has under sub-section (1) of section 6 given a notice of withdrawal of his candidature before the countermanding of the poll shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

1. Substituted by Act 5 of 1974, section 5, for "by his proposer or seconder".
2. Substituted by Act 5 of 1974, section 5, for sub-section (3).

Procedure in contested and uncontested elections.

8. If after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under sub-section (1) of section 6—

(a) there is only one candidate who has been validly nominated and has not withdrawn his candidature in the manner and within the time specified in that sub-section, the Returning Officer shall forthwith declare such candidate to be duly elected to the office of President or Vice-President, as the case may be ;

(b) the number of candidates who have been duly nominated but have not so withdrawn their candidatures exceeds one, the Returning Officer shall forthwith publish in such form and manner as may be prescribed a list containing the names in alphabetical order and addresses of candidates as given in the nomination papers, together with such other particulars as may be prescribed, and a poll shall be taken ;

(c) there is no candidate who has been duly nominated and has not so withdrawn his candidature, the Returning Officer shall report the fact to the Election Commission and thereafter all the proceedings in relation to the election shall be commenced afresh and for that purpose the Election Commission shall cancel the notification issued under sub-section (1) of section 4 in respect of such election and issue another notification under that sub-section appointing the dates referred to in that sub-section for the purposes of such fresh election.

Manner of voting at elections.

9. At every election where a poll is taken, votes shall be given by ballot in such manner as may be prescribed, and no votes shall be received by proxy.

Counting of votes.

10. At every election where a poll is taken, votes shall be counted by, or under the supervision of, the Returning Officer, and each candidate and one representative of each candidate authorized in writing by the candidate, shall have a right to be present at the time of counting.

11. When the counting of the votes has been completed, the Returning Officer shall forthwith declare the result of the election in the manner provided by this Act or the rules made thereunder.

Report of the result.

12. As soon as may be after the result of an election has been declared, the Returning Officer shall report the result to the Central Government and the Election Commission, and the Central Government shall cause to be published in the Official Gazette the declaration containing the name of the person elected to the office of President or Vice-President, as the case may be.

¹[PART III

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

Definitions.

13. In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) "candidate" means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at an election ;

(b) "costs" means all costs, charges and expenses or, or incidental to, a trial of an election petition ;

(c) "returned candidate" means a candidate whose name has been published under section 12 as duly elected.

1. Substituted by Act 20 of 1977, section 2. for "Part III".

Authority to try election petitions.

14. (1) No election shall be called in question except by presenting an election petition to the authority specified in sub-section (2).

(2) The authority having jurisdiction to try an election petition shall be the Supreme Court.

(3) Every election petition shall be presented to such authority in accordance with the provisions of this Part and of the rules made by the Supreme Court under article 145.

Presentation of petition.

14A. (1) An election petition calling in question an election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of section 18 and section 19, to the Supreme Court by any candidate at such election, or—

(a) in the case of Presidential election, by twenty or more electors joined together as petitioners ;

(b) in the case of Vice-Presidential election, by ten or more electors joined together as petitioners.

(2) Any such petition may be presented at any time after the date of publication of the declaration containing the name of the returned candidate at the election under section 12, but not later than thirty days from the date of such publication.

Form of petitions, etc., and procedure.

15. Subject to the provisions of this Part, rules made [whether before or after the commencement of the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Act, 1977] by the Supreme Court under article 145 may regulate the form of election petitions, the manner in which they are to be presented, the persons who are to be made parties thereto, the procedure to be adopted in connection therewith and the circumstances in which petitions are to abate, or may be withdrawn, and in which new petitioners may be substituted, and may require security to be given for costs,

Relief that may be claimed by the petitioner.

16. A petitioner may claim either of the following declarations: —

(a) that the election of the returned candidate is void ;

(b) that the election of the returned candidate is void and that he himself or any other candidate has been duly elected.

Orders of the Supreme Court.

17. (1) At the conclusion of the trial of the election petition, the Supreme Court shall make an order—

(a) dismissing the election petition ; or

(b) declaring the election of the returned candidate to be void ; or

(c) declaring the election of the returned candidate to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected.

(2) At the time of making an order under sub-section (1), the Supreme Court shall also make an order fixing the total amount of costs payable and specifying the persons by and to whom costs shall be paid.

Grounds for declaring the election of a returned candidate to be void.

18. (1) If the Supreme Court is of opinion,—
- (a) that the offence of bribery or undue influence at the election has been committed by the returned candidate or by any person with the consent of the returned candidate ; or
 - (b) that the result of the election has been materially affected—
 - (i) by the improper reception or refusal of a vote, or
 - (ii) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act; or
 - (iii) by reason of the fact that the nomination of any candidate (other than the successful candidate), who has not withdrawn his candidature, has been wrongly accepted ; or
 - (c) that the nomination of any candidate has been wrongly rejected or the nomination of the successful candidate has been wrongly accepted;

the Supreme Court shall declare the election of the returned candidate to be void.

(2) For the purposes of this section, the offences of bribery and undue influence at an election have the same meaning as in Chapter IXA of the Indian Penal Code. 45 of 1860

Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.

19. If any person who has lodged an election petition has, in addition to calling in question the election of the returned candidate, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and the Supreme Court is of opinion that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of the valid votes, the Supreme Court shall, after declaring the election of the returned candidate to be void, declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected:

Provided that the petitioner or such other candidate shall not be declared to be duly elected if it is proved that the election of such candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling in question his election.

Transmission of orders to the Central Government and its publication.

20. The Supreme Court shall, after announcing the orders made under section 17, send a copy thereof to the Central Government, and on receipt of such copy the Central Government shall forthwith cause the order to be published in the Official Gazette.

PART IV MISCELLANEOUS

Return or forfeiture of candidate's deposit.

¹[20A. (1) The deposit made under section 5C shall either be returned to the person making it or his legal representative or be forfeited to the Central Government in accordance with the provisions of this section.

(2) Except in cases hereafter mentioned in this section, the deposit shall be returned as soon as practicable after the result of the election is declared.

1. Inserted by Act 5 of 1974, section 8.

(3) If the candidate is not shown in the list referred to in clause (b) of section 8, or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the deposit shall be forfeited if at the election where the poll has been taken, the candidate is not elected, and the number of valid votes polled by such candidate does not exceed one-sixth of the number of votes necessary to secure the return of a candidate at such election.]

Power to make rules.

21. (1) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: —

(a) the maintenance of a list of members of the electoral college referred to in article 54 with their addresses corrected up to date for the purposes of Presidential elections ;

(b) the maintenance of a list of '[members of the electoral college referred to in article 66] with their addresses corrected up to date for the purposes of Vice-Presidential elections ;

(c) the powers and duties of a Returning Officer and the performance by any officer appointed to assist the Returning Officer of any function of the Returning Officer ;

²[(cc) the form and manner in which public notice under section 5 shall be given by the Returning Officer ;]

(d) the form and manner in which nominations may be made and the procedure to be followed in respect of the presentation of nomination papers ;

(e) the scrutiny of nominations and, in particular, the manner in which such scrutiny shall be conducted and the conditions and circumstances under which any person may be present or may enter objections thereat;

(f) the publication of a list of valid nominations:

³[(g) the place and hours of polling, the manner in which votes are to be given both generally and in the case of illiterate voters or voters not conversant with the language in which ballot papers are printed or voters under physical or other disability and the procedure as to voting to be followed at elections ;]

(h) the scrutiny and counting of votes including cases in which a recount of the votes may be made before the declaration of the result of the election;

(i) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers ;

(j) any other matter required to be prescribed by this Act.

1. Substituted by Act 5 of 1974, section 9, for "members of both Houses of Parliament".

2. Inserted by section 9, *ibid.*

3. Substituted by section 9, *ibid.*, for clause (g).

¹(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

Maintenance of
secrecy of voting. **22.** (1) Every officer, clerk or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (7) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Jurisdiction of
Civil Courts barred. **23.** Save as provided in Part III, no Civil Court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or of any decision given by the Returning Officer or by any other person appointed under this Act in connection with an election.

THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS RULES, 1974

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules¹ may be called the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974.

(2) They shall come into force at once.

2. *Interpretation.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 ;

(b) "article" means an article of the Constitution of India ;

(c) "Form" means a Form appended to these rules ;

(d) "section" means a section of the Act.

(2) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.

CHAPTER II

NOMINATION OF CANDIDATES

3. *Public notice of intended election.*—The public notice of an intended election referred to in section 5 shall be in Form 1 and shall be published by the Returning Officer by such means, in such language or languages and in such places as the Election Commission may direct.

4. *Nomination paper.*—Every nomination paper presented under subsection (1) of section 5B shall be completed in Form 2 or Form 3, as may be appropriate.

5. *Notice of withdrawal of candidature.*—(1) A notice of withdrawal of candidature under sub-section (1) of section 6 shall be in Form 4.

(2) On receipt of such notice, the Returning Officer shall note thereon the date on which and the hour at which it was delivered, and cause a copy thereof, together with the note, to be affixed in some conspicuous place in his office.

6. *Preparation and publication of the list of contesting candidates.*—In every case in which a poll is to be taken under clause (b) of section 8, the Returning Officer shall, immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under sub-section (1) of section 6—

(a) prepare in Form 5 a list of contesting candidates (that is to say, candidates who have been duly nominated but have not withdrawn their candidatures within the time specified in that behalf), containing the names in alphabetical order as given in the nomination papers together with their addresses ;

1. These rules were published with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) Notification No. S.O. 305(E), dated the 21st May, 1974. See Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii).

(b) cause the list to be published in the Gazette of India and in such other manner as the Election Commission may direct; and

(c) cause a copy of the list to be affixed in some conspicuous place in his office,

CHAPTER III

THE POLL

7. *Fixing place and time of polling for Presidential election.*—At every Presidential election where a poll is to be taken, the Election Commission shall—

(a) fix a place of polling in the Parliament House in New Delhi, and also in the premises in each State in which the Legislative Assembly, if any, of that State meets for the transaction of business;

(b) specify with reference to each such place of polling the group of electors who will be entitled to vote, and the hours during which the poll will be taken, at such place ; and

(c) give due publicity to the places so fixed and the groups of electors and the hours so specified.

8. *Fixing place and time of polling for Vice-Presidential election.*—At every Vice-Presidential election where a poll is to be taken, the Election Commission shall—

(a) fix a place of polling in the Parliament House in New Delhi;

(b) specify the hours during which the poll will be taken; and

(c) give due publicity to the place so fixed and the hours so specified.

9. *Presiding and polling officers.*—(1) The Returning Officer or such Assistant Returning Officer as may be specified in this behalf by the Election Commission shall conduct the poll at each place of polling. Every such officer is hereinafter referred to as the presiding officer.

(2) The presiding officer may appoint such polling officer or officers as he thinks necessary to assist him in taking the poll, but he shall not so appoint any person who has been employed by, or on behalf of, or has been working for, a candidate in or about the election.

10. *Design and form of ballot papers.*—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto and the said ballot paper and the counter foil shall be in such form, and the particulars therein shall be in such language or languages, as the Election Commission may direct.

(2) The names of the candidates shall be printed on the ballot paper in the same order as in the list of contesting candidates published under rule 6.

(3) Every presiding officer shall be supplied with a sufficient number of ballot papers by the Election Commission.

11. *Ballot boxes.*—Every ballot box used at the poll shall be of a design previously approved by the Election Commission.

12. *Procedure before the commencement of poll.*—(1) The presiding officer shall, immediately before the commencement of the poll, allow inspection of the ballot box to be used at the poll to such candidates and authorised representatives of candidates as may be present at the place of polling.

(2) The presiding officer shall then secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open, and shall also allow such candidates and authorised representatives of candidates as may be present to affix their own seals, if they so desire.

13. *Admission to the place of polling.*— (1) The presiding officer shall exclude from the place of polling all persons except—

(a) the polling officers and other public servants on duty ;

(b) the candidates, and one representative authorised in writing by each candidate;

(c) the electors ;

(d) persons authorised by the Election Commission ; and

(e) such other persons as the presiding officer may from time to time admit for the purpose of assisting him in taking the poll.

(2) The presiding officer shall close the place of polling at the hour fixed under clause (b) of rule 7 or, as the case may be, under clause (b) of rule 8 for the close of the poll and shall not admit therein any elector after that hour:

Provided that all electors present at the place before it is so closed shall be entitled to have their votes recorded.

14. *Procedure for giving ballot papers.*— (1) The polling officer shall be furnished with an authentic list or part thereof of the electors entitled to vote at the place of polling.

(2) Immediately before a ballot paper is delivered to an elector, a mark shall be placed against his name in that list, and the number of the elector as shown in that list shall be entered on the counterfoil of the ballot paper.

(3) The elector shall sign his name in the list in token of receipt of the ballot paper, whereupon, but not earlier, the ballot paper shall be delivered to him.

15. *Supply of fresh ballot paper in certain circumstances.*— (1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on delivering it to the presiding officer and on satisfying him of the inadvertence, obtain another ballot paper in place of the ballot paper so delivered, and the latter shall, together with its counterfoil, be marked as cancelled by the presiding officer.

(2) Any ballot papers so cancelled shall be kept in a separate envelope set apart for the purpose.

16. *Return of unused ballot papers by electors.*—If an elector after obtaining any ballot paper for the purpose of recording his vote decides not to use the same, he shall return the ballot paper to the presiding officer, who shall mark it 'Returned and cancelled' and keep it in a separate envelope set apart for the purpose.

17. *Manner of recording votes.*— (1) Every elector shall have as many preferences as there are candidates but no ballot paper shall be considered invalid solely on the ground that all such preferences are not marked.

(2) An elector in giving his vote—

(a) shall place on his ballot paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate whom he chooses for his first preference ; and

(b) may, in addition, mark as many subsequent preferences as he wishes by placing on his ballot paper the figures 2, 3, 4 and so on, in the spaces opposite the names of other candidates, in order of preference.

Explanation.—The figures referred to in clauses (a) and (b) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language but shall not be indicated in words.

(3) The presiding officer shall, if requested by an elector, explain to him the instructions contained on the ballot paper for the recording of votes.

18. *Maintenance of secrecy of voting by electors within place of polling and voting procedure.*— (1) Every elector to whom a ballot paper has been delivered under rule 14 shall maintain secrecy of voting within the place of polling and for that purpose observe the voting procedure herein after laid down.

(2) An elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) record his vote in accordance with sub-rule (2) of rule 17;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote ;

(d) insert the folded ballot paper into the ballot box: and

(e) quit the place of polling.

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

19. *Recording of votes of illiterate or disabled elector.*— (1) If an elector is unable to read the ballot paper or to record his vote thereon in accordance with rule 17 by reason of illiteracy or blindness or, by not being conversant with the language in which the ballot papers are printed or, by reason of any physical or other disability, the presiding officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector.

(2) The elector shall then himself or with the assistance of the presiding officer fold up the ballot paper so as to conceal his vote and insert it into the ballot box.

(3) While acting under this rule, the presiding officer shall observe as much secrecy as is feasible and shall keep a brief record of each such instance but shall not indicate therein the manner in which any vote has been cast.

20. *Account of ballot papers.*— (1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in Form 6 and enclose it in a separate cover with the words "Ballot Paper Account" super scribed thereon.

(2) The presiding officer shall permit the authorised representative of a candidate, who so desires, to take a true copy of the entries in the ballot paper account and shall attest it as true copy.

21. *Sealing up of ballot boxes and papers after the close of poll.*— (1) As soon as practicable after the close of poll the presiding officer shall, in the presence of such candidates and authorised representatives of candidates as may be present, close and seal up the slit as well as the ballot box.

(2) He shall also make up into separate packets—

- (a) the copy of the list of electors marked in accordance with rule 14;
- (b) the counterfoils of ballot papers ;
- (c) the ballot papers cancelled under rules 15 and 16 : and
- (d) the unused ballot papers,

and seal each such packet with his own seal and the seals of those candidates and authorised representatives of candidates who may desire to affix their seal thereon.

22. *Transfer of ballot papers from ballot boxes in certain cases.*— (1) Notwithstanding anything contained in rule 21, the Election Commission may, at a Presidential election, direct the presiding officer at any place of polling other than the Parliament House in New Delhi to follow after the close of the poll the procedure laid down in this rule instead of the procedure laid down in sub-rule (1) of rule 21.

(2) Where a direction has been issued under sub-rule (1), the presiding officer shall, as soon as practicable after the close of the poll, open the ballot box in the presence of such candidates and authorised representatives of candidates as may be present and transfer all the ballot papers contained in it without examining or counting them into a separate cover and record on such cover—

- (a) the name of the place of polling ; and
- (b) the date of the poll.

(3) After such transfer he shall allow the candidates and their authorised representatives who may be present, to inspect the ballot box and demonstrate to them that it is empty.

(4) He shall then seal the cover with his own seal and the seals of those candidates and authorised representatives of candidates who may desire to affix their seals thereon.

(5) The cover so sealed shall, for the purposes of rules 23, 25, 32 and 33, be deemed to be the ballot box used at that place of polling and the provisions of those rules shall apply accordingly.

23. *Dispatch and custody of ballot boxes and paper.*— (1) t a Presidential election, the presiding officer at every place of polling other than the Parliament House in New Delhi shall forthwith cause the sealed ballot box and packets and all other papers used at the poll to be sent to the Returning Officer in accordance with such general or special instructions as may be issued in that behalf by the Election Commission.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe custody of all sealed ballot boxes and packets and other papers used at the poll, until the commencement of the counting of votes.

24. *Adjournment of poll in emergencies.*— (1) If the proceedings at any place of polling are interrupted or obstructed by riot or open violence, or if it is not possible to take the poll at any such place on account of a natural calamity or other sufficient cause, the presiding officer shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later, and immediately report the circumstances to the Election Commission and, unless he is the Returning Officer, also to the Returning Officer.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1), the Election Commission shall, as soon as may be, fix the day on which, the place at which, and the hours during which the adjourned poll shall be taken, and shall notify the said details to all concerned in such manner as it may think fit.

(3) On the date on which such adjourned poll is taken, the electors who have already voted at the poll before its adjournment will not be entitled to vote, but only the remaining electors who were entitled to vote at the place of polling before its adjournment may vote.

25. *Fresh poll in case of destruction, etc., of ballot boxes.*— (1) If at an election, any ballot box is unlawfully taken away from the custody of the presiding officer or the Returning Officer or is in any way tampered with, destroyed or lost, the poll taken at the place of polling where that ballot box was used shall be deemed to have been vitiated ; and the Returning Officer shall, as soon as practicable, report the matter to the Election Commission, which shall appoint a day for the taking of a fresh poll at that place and fix the hours during which it will be taken.

(2) In every such case as aforesaid, the provisions of these rules shall apply to the fresh poll as they apply to the original poll.

26. *Voting by electors under preventive detention.*— (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, an elector may, if he is subjected to preventive detention under any law for the time being in force, give his vote by postal ballot.

(2) The Election Commission shall send by registered post to the officer-in-charge of the jail or other place where the elector is detained the appropriate ballot paper, together with a form of declaration of identity and attestation of signature and necessary envelopes specially prepared for the purpose and a letter of instructions, so as to reach that officer in good time before the date fixed for polling.

(3) On the date of polling the said officer shall deliver the ballot paper and other necessary papers to the elector, allow him all reasonable facilities and sufficient time, not exceeding two hours, for recording his vote in accordance with the instructions of the Election Commission, and if and when the elector has so recorded his vote, send the ballot paper and other connected papers in a sealed cover, either by registered post or through a special messenger, to the Returning Officer so as to reach him before the time fixed for the counting of votes under rule 27.

(4) It shall be the duty of every Government to intimate to the Election Commission at the appropriate time the names of electors, if any, who are subjected to preventive detention by or under the authority of that Government, together with the necessary particulars as to their places of detention.

CHAPTER IV

COUNTING OF VOTES AND DECLARATION OF RESULTS

27. *Place and time for counting of votes.*—The counting of votes shall take place at the office of the Returning Officer in New Delhi on such day and at such time as the Election Commission may appoint in this behalf; and the Election Commission shall give notice to all the candidates of the date and time so appointed.

28. *Admission to the place fixed for counting.*—The Returning Officer shall exclude from the place fixed for counting of vote" all persons except —

- (a) such persons as he may appoint to assist him in the counting ;
- (b) the candidates and one representative at a time authorised in writing by each candidate :
- (c) public servants on duty in connection with the election ; and
- (d) persons authorised by the Election Commission.

29. *Maintenance of secrecy of voting.*—Before the counting begins, the Returning Officer shall read out the provisions of section 22 to the persons present.

30. *Statement showing the number of votes of each elector at the Presidential election.*—For the purposes of every Presidential election, the Election Commission shall furnish the Returning Officer with a statement showing the number of votes which every elector has under the provisions of clause (2) of article 55 ; and every ballot paper put in by an elector at that election shall be deemed to represent as many votes as that elector is shown as having in that statement.

31. *Ballot papers when invalid.*—(1) A ballot paper shall be invalid on which—

- (a) the figure 1 is not marked ; or
- (b) the figure 1 is marked opposite the name of more than one candidate or is so marked as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply; or

(c) the figure 1 and some other figure are marked opposite the name of the same candidate ; or

(d) any mark is made by which the elector may afterwards be identified.

Explanation.—The figures referred to in clauses (a), (b) and (c) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language, but shall not be indicated in words.

(2) A ballot paper shall also be invalid if, being a postal ballot paper, the signature of the elector is not duly attested.

32. *Procedure upon opening each ballot box.*—After each ballot box and also each sealed cover (if any) received under sub-rule (5) of rule 26, has been opened, the Returning Officer shall—

(a) count the number of ballot papers taken out therefrom and complete Part II of the Ballot Paper Account in Form 6 ;

(b) scrutinise the ballot papers and separate those which in his opinion are valid from those which in his opinion are invalid, endorsing on the latter the word 'rejected' and the ground of rejection ; and

(c) arrange all the valid ballot papers in parcels according to the first preferences recorded for each candidate:

Provided that if, at a Presidential election, the ballot box used at a place of polling contains ballot papers of electors who, at their request are specially permitted by the Election Commission in pursuance of rule 7 to cast their votes at the said place of polling, such ballot papers shall, after the counting and recording in Form 6 is completed, be separated and added to the other ballot papers of the same kind used by electors in the same category and shall thereafter be scrutinised.

33. *Determination of result.*—After all the ballot boxes and sealed covers (if any) have been opened and the ballot papers have been scrutinised and arranged, the Returning Officer shall proceed to determine the result of the voting in accordance with the instructions contained in the Schedule to these rules.

34. *Recounting.*—The Returning Officer may, either on his own initiative or at the instance of any candidate or of the authorised representative of a candidate in the absence of that candidate, recount votes, whether once or more than once, when the Returning Officer is not satisfied as to the accuracy of a previous count:

Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Returning Officer to recount the same votes more than once.

35. *Declaration of result.*—(1) When the counting is complete and the result of the Voting has been determined, the Returning Officer shall forth with—

(a) announce the result to those present.

(b) report the result to the Central Government and the Election Commission under section 12 ;

(c) prepare and certify a return of the election in Form 7 ; and

(d) seal up in separate packets the valid ballot papers and the rejected ballot papers and record on each such packet a description of its contents.

(2) The Returning Officer shall, as soon as may be thereafter, forward the certified return to the Election Commission.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

36. *Custody of ballot boxes and election papers.*—All ballot boxes used at the election and the packets of ballot papers and all other papers relating to the election shall, after the election, be kept in such custody as the Election Commission may direct.

37. *Production and inspection of election papers.*—(1) The packets of ballot papers, whether valid or rejected, and their counterfoils and the packets containing the lists of electors marked in accordance with rule 14 shall not be opened, nor shall their contents be inspected by, or produced before, any person or authority, except under the order of the Supreme Court or other competent court.

(2) All other papers relating to the election shall be open to public inspection subject to such conditions and to the payment of such fee, if any, as the Election Commission may direct.

38. *Disposal of election papers.*—The packets and other papers referred to in rule 37 shall be retained for a period of two years from the date of declaration of the result of the election, and shall thereafter be destroyed unless a direction to the contrary is given by the Supreme Court or other competent court or by the Election Commission.

39. *Copies of return of election.*—Copies of the certified return of the election referred to in rule 35 shall be furnished by the Election Commission on payment of a fee of one rupee per copy.

40. *List of electors.*—The Election Commission shall maintain a list of members of the electoral college referred to in article 54 and a list of members of the electoral college referred to in article 66, with their addresses correct up to date for the purposes, respectively, of Presidential election and Vice-Presidential election.

41. *Repeal.*—The Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952, are hereby repealed.

FORM 1
(See rule 3)

PUBLIC NOTICE
OF
ELECTION TO THE OFFICE OF *PRESIDENT/*VICE-PRESIDENT
OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of President/Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I,the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in New Delhi, or if he is unavoidably absent, to... at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees two thousand five hundred only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at{place} on {date} at {hours};

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of..... {date};

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on.....{date} between hours of and..... at the places of polling fixed under the rules.

Place (Signature)
Dated the (Returning Officer)
(Designation)

* Strike off if inapplicable.

FORM 2

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF INDIA

We hereby nominate

(Full name and address of the candidate)

as a candidate for election to the office of the President of India.

We have verified, and do hereby declare, that the said candidate has completed the age of 35 years and is registered in the electoral roll for the Parliamentary constituency of, in the State of

A certified copy of the entry in that electoral roll relating to the said candidate is attached.

We further declare that we are members of the electoral college referred to in article 54 of the Constitution being elected members of the House of the People or Council of States or the Legislative Assembly as indicated hereunder and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination: —

Particulars of the proposers and their signatures

Sl. No.	Full name	Whether elected member of the House of the People/Council of States / Legislative Assembly	State/Union territory (in the case of member elected to the House of the People or Council of States from a Union territory) in/ from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2					
3.					
4.					
5.					
6					
7.					
8					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14					
15.					
*etc.					

*There should be at least ten electors as proposers.

Particulars of the seconders and their signatures

SI. No.	Full Name	Whether elected member of the House of the People/Council of States/Legislative Assembly	State/Union territory (in the case of member elected to the House of the People or Council of States from a Union territory) in/from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
*etc					

*There should be at least ten electors as seconders.

I assent to this nomination.

Signature of candidate

Date..... ,,,

(To be filled by the Returning Officer)

Serial Number of nomination paper.....

This nomination paper was delivered to me at my office at.....
 (hour) on (date) by the candidate/proposer
 (name)/ seconder (name) with enclosures as indicated
 below purporting to be—

(1)

(2)

Date

Returning Officer

[Decision of the Returning Officer (if any) under subsection (4) of section 5B

I have rejected this nomination paper under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below: —

Date *Returning Officer]*

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 5E of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and decide as follows: —

Date *Returning Officer*

{Perforation)

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the nomination paper

The nomination paper of.....(*name*), a candidate for election to the office of the President of India, was delivered to me at my office at.....(*hour*) on.....(*date*) by the candidate/ proposer.....(*name*)/ seconder.....(*name*).

All nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, will be taken up for scrutiny at.....(*hour*) on.....(*date*) at.....(*place*).

[2. The nomination paper of this candidate has been rejected by me under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below:—]

Date *Returning Officer*

[] Score out if not applicable.

FORM 3

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Members of the electoral college referred to in article 66 of the Constitution being Members of Parliament hereby nominate (*full name and address of candidate*) as a candidate for election to the office of the Vice-President of India.

We have verified, and do hereby declare, that the said candidate has completed the age of 35 years and is registered in the electoral roll for the Parliamentary constituency of in the State of

A certified copy of the entry in that electoral roll relating to the said candidate is attached. We furnish our full particulars as indicated hereunder and append our signatures below in token of subscribing to this nomination.

Particulars of the proposers and their signatures

Sl. No.	Full Name	Whether member of the House of the People/Council of States	State/Union territory from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
*etc.					

*There should be at least five electors as proposers.

Particulars of the seconders and their signatures

Sl. No.	Full Name	Whether member of the House of the People/Council of States	State/Union territory from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
*etc.					

*There should be at least five electors as seconders.

I assent to this nomination.

Signature of candidate

Date,

(To be fitted by the Returning Officer)

Serial Number of nomination paper

This nomination was delivered to me at my office at..... (hour) on..... (date) by the candidate/proposer (name)/seconder..... (name) with en closures as indicated below purporting to be—

(1)

(2)

Date,

Returning Officer

[Decision of the Returning Officer (if any) under subsection (4) of section 5B*

I have rejected this nomination paper under sub-section (4) of section 5B of the presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below: —

Date Returning Officer]

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 5E of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and decide as follows: —

Date Returning Officer

(Perforation).....

Receipt for nomination paper and notice of scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the nomination paper

The nomination of (name), a candidate for election to the office of the Vice-President of India was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the candidate/proposer (name)/seconder (name).

All nomination papers other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, will be taken up for scrutiny at (hour) on (date) at (place).

[2. The nomination paper of this candidate has been rejected by me under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below:—]

Date Returning Officer

[] Score out if not applicable.

FORM 4

[See rule 5(1)]

NOTICE OF WITHDRAWAL

To

The Returning Officer for the election to the office of President I Vice-President of India.

I, (name) of (address)
a candidate at the above-mentioned election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place

Date

Signature of candidate

Note .—The notice of withdrawal is required to be delivered under section 6(1) of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, by the candidate in person or by any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by such candidate.

FORM 5

(See rule 6)

ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT /VICE- PRESIDENT OF INDIA

List of Contesting Candidates

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate
1	_____	_____
2.		
3.		
4.		
etc.		

Place

Date.....,

Returning Officer

FORM 6

(See rule 20)

PART I—BALLOT PAPER ACCOUNT

ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT/VICE-PRESIDENT OF INDIA

Name of the place of polling

	Serial Numbers from	to	Total Numbers
1. Ballot papers received			
2. Ballot papers unused			
3. Ballot papers issued to voters			
4. Ballot papers cancelled			

Date

Signature of Presiding Officer

PART II—RESULT OF COUNTING

(See rule 32)

- (1) Total number of ballot papers found in the ballot box (boxes) used at the place of polling
- (2) Discrepancy if any between the total number as shown against item (1) in this Part and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I *minus* the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 of Part I.

Date

Signature of the Returning Officer.

FORM 7

[See rule 35(1) (c)]

RETURN OF ELECTION TO THE OFFICE OF THE PRESIDENT/ VICE-PRESIDENT OF INDIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
No.	Name of Candidate	Votes secured at first count	Votes credited at first exclusion	Total of columns 3 and 4	Votes credited at second exclusion	Total of columns 5 and 6	Votes credited at third exclusion	Total of columns 7 and 8	Votes credited at fourth exclusion	Total of columns 9 and 10				
Exhausted votes														
TOTAL														

Total number of valid ballot papersrepresenting votes.

Total number of invalid ballot papersrepresenting votes.

I declare that

(Name).....

(Address)

has been duly elected to the office of the President /Vice-President of India.

Place

.....

Date

Returning Officer

THE SCHEDULE

(See rule 33)

INSTRUCTIONS FOR THE DETERMINATION OF RESULT

1. In this Schedule—

(1) the expression "continuing candidate" means any candidate not elected and not excluded from the poll at any given time;

(2) the expression "first preference" means the figure 1 set opposite the name of any candidate, the expression "second preference" similarly means the figure 2, the expression "third preference" the figure 3, and so on;

(3) the expression "next available preference" means the second or subsequent preference recorded in consecutive numerical order for a continuing candidate, preferences for candidates already excluded being ignored ;

(4) the expression "unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate ;

(5) the expression "exhausted paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate, provided that a paper shall be deemed to be exhausted in any case in which—

(a) the names of two or more candidates whether continuing or not are marked with the same figure, and are next in order of preference; or

(b) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper or by two or more figures.

2. Every ballot paper represents at each count-

(a) in a Presidential election, the number of votes as determined under rule 30 ; and

(b) in a Vice-Presidential election, one vote.

3. Ascertain the number of first preference votes secured by each candidate and credit him with that number.

4. Add up the numbers so credited to all the candidates, divide the total by two, and add one to the quotient disregarding any remainder. The resulting number is the quota sufficient to secure the return of a candidate at the election.

5. If at the end of the first or any subsequent count, the total number of votes credited to any candidate is equal to, or greater than, the quota, or there is only one continuing candidate, that candidate is declared elected.

6. If at the end of any count, no candidate can be declared elected,—

(a) exclude the candidate who up to that stage has been credited with the lowest number of votes ;

(b) examine all the ballot papers in his parcel and sub-parcels, arrange the unexhausted papers in sub-parcels according to the next available preferences recorded thereon for the continuing candidates, count the number of votes in each such sub-paragraph and credit it to the candidate for whom such preference is recorded, transfer the sub-paragraph to that candidate, and make a separate sub-paragraph of all the exhausted papers ; and

(c) see whether any of the continuing candidates has, after such transfer and credit, secured the quota.

If, when a candidate has to be excluded under clause (a) above, two or more candidates have been credited with the same number of votes and stand lowest on the poll, exclude that candidate who had secured the lowest number of first preference votes, and if that number also was the same in the case of two or more candidates, decide by lot which of them shall be excluded.

All the sub-parcels of exhausted papers referred to in clause (b) above shall be set apart as finally dealt with and the votes recorded thereon shall not thereafter be taken into account.

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह जुलाई 1974 को यथा विद्यमान राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उनके अधीन बनाए गए नियमों का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ उनके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 6 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 2, खण्ड III, में पृष्ठ 480 से 489 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974 का हिन्दी पाठ जो मूल अधिनियम में समाविष्ट कर दिया है। तारीख 13 जून, 1974 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 15, खण्ड X, में प्रकाशित हुआ था। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम तारीख 21 मई, 1974 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3क में प्रकाशित किए गए थे।

इन हिन्दी पाठों को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम 1963 को धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुए और इस प्रकार प्रकाशित होने पर यह उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ हैं।

नई दिल्ली,
1 जुलाई, 1974

के० के० सुन्दरम,
सचिव, भारत सरकार।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 31) के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं, इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 सितम्बर, 1978 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली,
1 सितम्बर, 1978

शंकर हरिहर अय्यर,
सचिव, भारत सरकार।

संशोधन अधिनियमों की सूची

1. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 15)।
2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 20)।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम	1
2. परिभाषाएं	1
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों का संचालन	
3. रिटर्निंग आफिसर और उसके सहायक	1
4. नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखों का नियत किया जाना	2
5. निर्वाचन की लोक सूचना	2
5क. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन	2
5ख. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं	3
5ग. निक्षेप	3
5घ. नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा का समय और स्थान	4
5ङ. नामनिर्देशनों की संवीक्षा	4
6 अभ्यर्थिता वापस लेना	5
7. अभ्यर्थी की मतदान से पूर्व मृत्यु	5
8. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया	6
9. निर्वाचनों में मतदान की रीति	6
10. मतों की गणना	6
11. निर्वाचन परिणामों की घोषणा	6
12. निर्वाचन परिणामों की रिपोर्ट	6
भाग 3	
निर्वाचन सम्बन्धी विवाद	
13. परिभाषाएं	6
14. निर्वाचन अर्जियों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण	7
14क. अर्जियों का पेश किया जाना	7
15. अर्जियों के प्ररूप इत्यादि और प्रक्रिया	7
16. अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा	7
17. उच्चतम न्यायालय के आदेश	7
18. निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार	8
19. निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित करने के आधार	8
20. केन्द्रीय सरकार को आदेशों का भेजा जाना और उनका प्रकाशन	8
भाग 4	
प्रकीर्ण	
20क. अभ्यर्थी के निक्षेप का लौटाया जाना या समपहरण	8
21. नियम बनाने की शक्ति	9
22. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना	10
23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित	10

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 31)

(14 मार्च, 1952)

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों से सम्बन्ध या संसक्त कतिपय विषयों के विनियमित करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

भाग 1

प्रारम्भिक

1. यह अधिनियम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 कहा संक्षिप्त नाम। जा सकेगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएं।

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) "निर्वाचन" से राष्ट्रपतीय निर्वाचन या उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अभिप्रेत है;

(ग) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचन" से राष्ट्रपतीय निर्वाचन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य अभिप्रेत है और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के सम्बन्ध में ¹(अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य) अभिप्रेत है।

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "राष्ट्रपतीय निर्वाचन" से भारत के राष्ट्रपति के पद के भरे जाने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

²[(चच) "लोक अवकाश — दिन" से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश—दिन है;]

1881 का 26

(छ) "रिटर्निंग आफिसर" के अन्तर्गत उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिसका पालन करने के लिए वह धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ³(सक्षम) है;

(ज) "उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन" से भारत के उपराष्ट्रपति के पद के भरे जाने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

भाग 2

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों का संचालन

3. (1) निर्वाचन आयोग हर एक निर्वाचन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त कर सकेगा।

रिटर्निंग आफिसर
और उनके सहायक।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा द्वारा "संसद के किसी एक सदन का सदस्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित।

3. पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा "प्राधिकृत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, हर सहायक रिटर्निंग आफिसर रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी के पालन के लिए सक्षम होगा।

4. ¹[(1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हर निर्वाचन के लिए—

नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखों का नियत किया जाना।

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् चौदहवें दिन की तारीख होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश-दिन न हो;

(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के ठीक बाद के दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश-दिन न हो;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् दूसरे दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश-दिन न हो;

(घ) वह तारीख नियत करेगा जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो तो, होगा और जो ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से पहले की तारीख न होगी।]

(2) प्रथम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचनाएं संसद के दोनों सदनों के गठन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकाली जाएंगी।

(3) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना, यथास्थिति, पदावरोही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को या उसके पश्चात् सुविधापूर्वक जितनी शीघ्र निकाली जा सके निकाली जाएगी और उक्त उपधारा के अधीन तारीख ऐसे नियत की जायेगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाए कि तद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण, यथास्थिति, पदावरोही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावली के अवसान के अगले दिन को कर सके।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से हुई उनके पद की रिक्ति के भरे जाने के लिए निर्वाचन की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना ऐसी रिक्ति के होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकाली जाएंगी।

²[5. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर निर्वाचन का रिटर्निंग आफिसर आशयित निर्वाचन की, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाए, लोक सूचना देगा, जिसमें ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित किए जाएंगे और वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा जहां पर नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किए जाने हैं।

निर्वाचन की लोक सूचना।

5क. कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए संविधान के अधीन अर्हित है, उस पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 3 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5ख. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व, प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो स्वयं या अपने प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के द्वारा, रिटर्निंग आफिसर को, धारा 5 के अधीन जारी की गई लोकसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर, पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच, विहित प्ररूप में भरा गया नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करेगा जिस पर अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की अनुमति देते हुए हस्ताक्षर होंगे तथा,—

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमाम्य नाम-निर्देशन के लिए अपेक्षाएं।

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम दस निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम दस निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर होंगे :

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम पांच निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम पांच निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर होंगे :

परन्तु कोई भी नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर को किसी ऐसे दिन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश-दिन है।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बन्धित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी दिन पूर्वाह्न ग्यारह बजे से पहले और अपराह्न तीन बजे के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए।

(4) जो नामनिर्देशन पत्र धारा 4 को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन की गई अन्तिम तारीख को अपराह्न तीन बजे के पहले प्राप्त नहीं होता है या जिसके साथ इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है, वह नामंजूर कर दिया जाएगा और ऐसी नामंजूरी से सम्बन्धित एक संक्षिप्त टिप्पण उस नामनिर्देशन पत्र पर ही अभिलिखित किया जायेगा।

(5) कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र से भिन्न किसी भी नामनिर्देशन पत्र पर उसका हस्ताक्षर निष्प्रभाव होगा।

(6) इस धारा की कोई बात किसी अभ्यर्थी के एक ही निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने को नहीं रोकेगी :

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

5ग (1) किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह दो हजार पांच सौ रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है :

निक्षेप।

परन्तु जहां एक ही निर्वाचन में कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के बारे में तब तक यह नहीं समझा जायेगा कि वह उस उपधारा के अधीन निक्षिप्त की गई है, जब तक कि अभ्यर्थी ने धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय, वह राशि रिटर्निंग आफिसर के पास नकद निक्षिप्त न कर दी हो या निक्षिप्त न करा

दी हो अथवा नामनिर्देशन पत्र के साथ एक रसीद संलग्न न कर दी हो, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त कर दी गई है।

5घ. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग आफिसर -

नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा का समय और स्थान।

(क) उसमें नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख और समय का कथन अपने हस्तलेख से प्रमाणित करेगा तथा उस पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा;

(ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा; तथा

(ग) खण्ड (क) के अधीन यथाप्रमाणित और संख्यांकित नामनिर्देशन की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा।

5ड (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को हर अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक्तः प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति, नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहने का हकदार होगा किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नहीं, और रिटर्निंग आफिसर उन्हें सब अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर नहीं कर दिए गए हैं, परीक्षा करने के लिए सब उचित सूविधाएं देगा।

नामनिर्देशनों की संवीक्षा।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को उन नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन पहले ही नामंजूर किए गए हैं।

(3) तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसे सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन पत्र पर किए जाएं तथा, या तो ऐसे किसी आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी किसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) यह कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को अभ्यर्थी संविधान के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है; अथवा

(ख) यह कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से कोई धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हित नहीं है; अथवा

(ग) यह कि नामनिर्देशन पत्र पर उतने प्रस्थापकों या समर्थकों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जितने अपेक्षित हैं; अथवा

(घ) यह कि अभ्यर्थी के या प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के हस्ताक्षर असली नहीं है या कपट द्वारा लिए गए हैं; अथवा

(ड) यह कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) से (ड) तक की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को नामनिर्देशन पत्र की बाबत किसी अनियमितता के आधार पर नामंजूर करने के लिए प्राधिकृत करती है यदि अभ्यर्थी किसी अन्य नामनिर्देशन पत्र द्वारा, जिसकी बाबत कोई अनियमितता नहीं हुई है, सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

(5) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो महत्वपूर्ण नहीं है।

(6) रिटर्निंग आफिसर धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संवीक्षा के लिए नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का स्थगन अनुज्ञात तभी करेगा जब ऐसी कार्यवाहियों में बलवे या खुली आम हिंसा द्वारा या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों द्वारा विघ्न या बाधा डाली जाती है अन्यथा नहीं :

परन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो सम्बद्ध अभ्यर्थी को उसका खण्डन करने के लिए, संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन छोड़कर अगले दिन से अनधिक समय अनुज्ञात किया जाएगा, तथा रिटर्निंग आफिसर उस तारीख को अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं।

(7) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(8) तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रवृष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तब तक इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रवृष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है।

1950 का 43

6. (1) कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता विहित प्ररूप की और अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जो रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या ¹[उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से ऐसे किसी भी प्रस्थापक या समर्थक द्वारा] जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को तीन बजे अपराहन से पहले परिदत्त कर दी गई हो।

अभ्यर्थिता वापस लेना

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना उपधारा (1) के अधीन दी है उसे उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात न किया जायेगा।

²[(3) रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असली होने और उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में अपना समाधान हो जाने पर, सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।]

7. यदि कोई अभ्यर्थी, जिसका नामनिर्देशन कर दिया गया है और संवीक्षा पर ठीक पाया जाता है, नामनिर्देशन के लिए नियत समय के पश्चात् मर जाता है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा और निर्वाचन सम्बन्धी सब कार्यवाहियां हर प्रकार से नए सिरे से प्रारम्भ होंगी मानो वे नए निर्वाचन के लिए हों :

अभ्यर्थी की मतदान से पूर्व मृत्यु

परन्तु उस अभ्यर्थी की दशा में, जिसका नामनिर्देशन मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय विधिमान्य था, कोई अतिरिक्त नामनिर्देशन आवश्यक न होगा :

परन्तु यह और भी कि जिस व्यक्ति ने मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना 6 की उपधारा (1) के अधीन दे दी है वह ऐसे प्रत्यादेश के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने का अपात्र न होगा।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 5 द्वारा "उसके ऐसे प्रस्थापक या समर्थक द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 5 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8. जिस कालावधि के अन्दर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है उसके अवशान के पश्चात् यदि—

सर्विरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया।

(क) केवल एक अभ्यर्थी है जो विधिमान्य रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है और जिसने उस उपधारा में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है तो रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण यह घोषणा कर देगा कि ऐसा अभ्यर्थी, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है,

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जो सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किए गए हैं किन्तु जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, एक से अधिक है, तो निर्वाचन आफिसर अभ्यर्थियों के नामों को वर्णक्रम में और पतों को उस रूप में, जिसमें वे नामनिर्देशन पत्रों में दिए हैं, अन्तर्विष्ट करने वालों और ऐसी अन्य विशिष्टियों के सहित, जैसी विहित की जाए, एक सूची ऐसे प्ररूप और राति में, जैसी विहित की जाए, तत्क्षण प्रकाशित करेगा तथा मतदान होगा,

(ग) ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जिसका सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है तो निर्वाचन आफिसर उस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को कर देगा और तत्पश्चात् निर्वाचन सम्बन्धी सब कार्यवाहियां नए सिरे से प्रारम्भ होंगी और उस प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना को रद्द करेगा और ऐसे नए निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख नियत करते हुए उस उपधारा के अधीन दूसरी अधिसूचना निकालेगा।

9. ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदाता होता है, मतपत्रों द्वारा ऐसी रीति में मत दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए और कोई मत परीक्षा द्वारा न लिए जाएंगे।

निर्वाचनों में मतदान की रीति।

10. ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदाता होता है, मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा, या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जायेगी, और हर एक अभ्यर्थी का तथा हर एक अभ्यर्थी के ऐसे एक प्रतिनिधि का, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहे।

मतों की गणना।

11. जब मतों की गणना समाप्त हो जाए, तब रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का परिणाम इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्धित रीति में तत्क्षण घोषित करेगा।

निर्वाचन परिणामों की घोषणा।

12. निर्वाचन के परिणाम के घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को करेगा और केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में एक ऐसी घोषणा प्रकाशित करायगी जिसमें, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्ति का नाम अन्तर्विष्ट होगा।

1[भाग 3

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

13. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

परिभाषाएं।

(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट हुआ है या सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है;

(ख) “खर्चे” से निर्वाचन अर्जी के विचारण के या उससे आनुषंगिक सभी खर्चे, प्रभार और व्यय अभिप्रेत हैं;

(ग) “निर्वाचित अभ्यर्थी” से वह अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक्तः निर्वाचित रूप में धारा 12 के अधीन प्रकाशित किया गया है।

1. 1977 के अधिनियम संख्यांक 20 की धारा 2 द्वारा “भाग 3” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14. (1) कोई भी निर्वाचन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को पेश की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

निर्वाचन अर्जियों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण।

(2) उच्चतम न्यायालय निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकरण होगा।

(3) हर निर्वाचन अर्जी ऐसे प्राधिकरण को उस भाग के उपबन्धों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पेश की जाएगी।

14क. (1) निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली अर्जी धारा 18 की उपधारा (1) में और धारा 19 में विनिर्दिष्ट में से एक या अधिक आधारों पर ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, या—

अर्जियों का पेश किया जाना।

(i) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में;

(ii) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में;

उच्चतम न्यायालय में पेश की जा सकेगी।

(2) ऐसी कोई अर्जी उस घोषणा के, जिसमें धारा 12 के अधीन निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम हो, प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय पेश की जा सकेगी किन्तु ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् पेश नहीं की जा सकेगी।

15. इस भाग के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए यह कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियम [चाहे वे राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाए गए हों] निर्वाचन अर्जियों के प्ररूप का, उस रीति का, जिसमें पेश किया जाना है, उन व्यक्तियों का, जो इसके पक्षधर बनाए जाने हैं, उससे संबंधित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का और उन परिस्थितियों का विनिमय कर सकेंगे जिसमें अर्जियों का शमन हो जाएगा या जिसमें वे वापस ली जा सकेंगी और जिसमें नए अर्जीदार प्रतिस्थापित किए जा सकेंगे और वे खर्च के लिए प्रतिभूति दिये जाने की अपेक्षा कर सकेंगे।

अर्जियों के प्ररूप इत्यादि और प्रक्रिया।

16. अर्जीदार निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी घोषणा का दावा कर सकेगा, अर्थात्:—

अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा।

(क) कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है;

(ख) कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

17. (1) निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति पर उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित आदेश करेगा, अर्थात्:—

उच्चतम न्यायालय के आदेश।

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करना; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करना ; अथवा ?

(ग) निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करना और अर्जीदार या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से घोषित करना और यह घोषणा करना कि अर्जीदार या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करते समय उच्चतम न्यायालय संदेय खर्च की कुल रकम निश्चित करते हुए और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके द्वारा या जिनको खर्च दिये जाएंगे, आदेश करेगा।

18. (1) यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि -

निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार।

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी या निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में रिश्वत या असम्यक् असर का अपराध किया गया है, अथवा

(ख) निर्वाचन का परिणाम पर -

- i किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने या इंकार किए जाने के कारण से, अथवा
- ii संविधान के या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबन्धों का अनुपालन न किये जाने से, अथवा
- iii इस तथ्य के कारण कि किसी ऐसे अभ्यर्थी का (निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न) नामनिर्देशन, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, गलत रूप में स्वीकार किया गया है,

तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़ा है, अथवा

(ग) किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत रूप से इंकार किया गया है या निर्वाचित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत रूप से स्वीकार किया गया है,

तो उच्चतम न्यायालय यह घोषणा करेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है।

1860 का 45

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन में रिश्वत और असम्यक् असर के अपराध के वही अर्थ हैं जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9क में हैं।

19. यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने निर्वाचन अर्जी पेश की है निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है और उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि वास्तव में अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी ने विधिमान्य मतों में से बहुसंख्यक मत प्राप्त किए हैं तो उच्चतम न्यायालय निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य घोषित करने के पश्चात्, यथास्थिति अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा:

निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने के आधार।

परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन उस दशा में शून्य होता जिसमें वह निर्वाचित अभ्यर्थी रहता और उसके निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाजी अर्जी पेश की गई होती तो ऐसे अर्जीदार या अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा।

20. उच्चतम न्यायालय धारा 17 के अधीन आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उनकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी प्रति की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार तुरन्त उस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराएगी।

केन्द्रीय सरकार की आदेशों का भेजा जाना और उनका प्रकाशन।

भाग 4 प्रकीर्ण

¹[20क (1) धारा 5ग के अधीन किया गया निक्षेप इस धारा के उपबन्धों के अनुसार या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दिया जायेगा या केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगा।

अभ्यर्थी के निक्षेप का लौटाया जाना

(2) इस धारा में इसके पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय, निर्वाचन के परिणाम के घोषित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र निक्षेप लौटा दिया जायेगा।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 8 द्वारा अन्तस्थापित।

(3) यदि अभ्यर्थी का नाम धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सूची में नहीं है, अथवा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निक्षेप, यथास्थिति, सूची के प्रकाशन या अभ्यर्थी की मृत्यु के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र लौटा दिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि उस निर्वाचन में, जिसमें मतदान हो गया है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमाम्य मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक मत संख्या के छठवें भाग से अधिक नहीं है, तो निक्षेप समपहृत हो जायेगा।]

21.(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए नियम, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों या उनमें से किसी के लिए उपलब्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची, उनके अद्यतन शुद्धकृत पत्रों के सहित, बनाए रखना;

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए ¹[अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों] की सूची, उनके अद्यतन शुद्धकृत पत्रों के सहित, बनाए रखना;

(ग) रिटर्निंग आफिसर की शक्तियां और कर्तव्य और रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिए नियुक्त किसी आफिसर द्वारा रिटर्निंग आफिसर के किसी कर्तव्य का पालन;

²[(गग) वह प्ररूप और रीति जिससे रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 5 के अधीन लोक सूचना दी जायेगी;]

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें नामनिर्देशन किये जा सकेंगे और नामनिर्देशन पत्रों के उपस्थापन के सम्बन्ध में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) नामनिर्देशनों की संवीक्षा और विशिष्टतः वह रीति जिससे ऐसी संवीक्षा की जायेगी और वे शर्तें और परिस्थितियां जिसके अधीन कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सकेगा या आक्षेप कर सकेगा ;

(च) विधिमाम्य नामनिर्देशनों की सूची का प्रकाशन ;

³[(छ) मतदान का स्थान और समय, वह रीति जिससे साधारणतः और अशिक्षित मतदाताओं अथवा जिस भाषा में मतपत्र मुद्रित हुए हैं उनका ज्ञान न रखने वाले मतदाताओं या शारीरिक या अन्य निःशक्तता से ग्रस्त मतदाताओं की दशा में, मत दिए जाने हैं, तथा मतदान के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;]

(ज) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत वे मामले आते हैं जिनमें निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पूर्व मतों की पुनर्गणना की जा सकेगी;

(झ) मतपेटियों, मत पत्रों और अन्य निर्वाचन कागज—पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, वह कालावधि जिस तक ऐसे कागज—पत्र परिरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागज—पत्रों का निरीक्षण और पेश किया जाना ;

(ञ) कोई अन्य ऐसी बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित की जाने के लिए अपेक्षित है।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 9 द्वारा " संसद के दोनों सदनों के सदस्यों " के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त की धारा 9 द्वारा अतः स्थापित।

3. पूर्वोक्त की धारा 9 द्वारा खण्ड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

22. (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

23. भाग 3 में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह रिटर्निंग आफिसर या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त है, निर्वाचन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही या दिये गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करें।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचन (1)– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनुच्छेद” से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 अभिप्रेत है;

(ख) “अनुच्छेद” से भारत के संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इन नियमों के निर्वाचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू है।

अध्याय 2

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

3. आशयित निर्वाचन की लोक सूचना – आशयित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 5 में निर्दिष्ट है प्ररूप 1 में होगी और रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी भाषा या भाषाओं में और ऐसे स्थानों में प्रकाशित की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें।

4. नामनिर्देशन पत्र – हर नामनिर्देशन पत्र, जो धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में से जो उपयुक्त हो उसमें पूरा किया जाएगा।

5. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना – (1) धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्ररूप 4 में होगी।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, वह परिदत्त की गई थी, लिखेगा और उस लेख सहित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन – हर ऐसी दशा में, जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन मतदान होना है, रिटर्निंग आफिसर, उस अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् जिसके भीतर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी,—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (अर्थात् उन अभ्यर्थियों की सूची जिसका सम्यक् रूप से नामनिर्देशन किया गया है किन्तु जिन्होंने उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है) प्ररूप 5 में तैयार करेगा, जिसमें नामनिर्देशन पत्रों में दिये गए रूप में वर्णक्रम से अभ्यर्थियों के नाम और पते अन्तर्विष्ट होंगे;

1. ये नियम विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का10 आ0 305 (ड.), तारीख 21 मई, 1974 के साथ प्रकाशित किए गए थे। भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 (ii) देखिए।

(ख) सूची को भारत के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित कराएगा; और

(ग) सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

अध्याय 3

मतदान

7. राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना — हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग, —

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में, और हर एक राज्य में उस परिसर में, जिसमें राज्य की विधान सभा का, यदि कोई हो, कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन होता है, नियत करेगा;

(ख) मतदान के हर एक ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से उन निर्वाचकों के समूह को, जो ऐसे स्थान पर मत देने के हकदार होंगे और उस समय को, जिसके दौरान ऐसे स्थान पर मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा; और;

(ग) ऐसे नियत स्थानों और ऐसे विनिर्दिष्ट निर्वाचकों के समूहों और समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

8. उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना — हर उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग, —

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में नियत करेगा;

(ख) उस मतदान को जिसके दौरान मतदान होगा विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ग) ऐसे नियत स्थान और ऐसे विनिर्दिष्ट समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

9. पीठासीन और मतदान आफिसर— (1) रिटर्निंग आफिसर या ऐसा सहायक रिटर्निंग आफिसर, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मतदान के हर एक स्थान पर मतदान का संचालन करेगा। हर ऐसे आफिसर को इसमें इसके पश्चात् पीठासीन आफिसर कहा गया है।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान आफिसर या आफिसरों को, जिन्हें वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस निर्वाचन में या उस निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित रह चुका है या उसके लिए काम करता रहा है, ऐसे नियुक्त नहीं करेगा।

10. मतपत्र का परिकल्प और प्ररूप — (1) हर मतपत्र के साथ एक प्रतिपण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम, मतपत्र में उसी क्रम में मुद्रित किए जाएंगे जिसमें वे नियम 6 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं।

(3) हर पीठासीन आफिसर को निर्वाचित आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में मतपत्र दिए जाएंगे।

11. मतपेटियां – मतदान में उपयोग में लाई जाने वाली हर मतपेटी निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित परिकल्प की होगी।

12. मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रक्रिया – (1) पीठासीन आफिसर, मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो मतदान के स्थान में उपस्थित हों, मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

2) पीठासीन आफिसर, तब पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुहर बन्द करेगा कि मतपत्रों को उसमें डालने के लिए छेद खुला रहे और यदि ऐसे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों, ऐसा करने की वांछा करें, तो उन्हें अपनी मुहर भी उस पर लगाने देगा।

13. मतदान के स्थानों में प्रवेश – (1) पीठासीन आफिसर –

(क) मतदान आफिसरों और अन्य कर्तव्यारूढ़ सेवकों के;

(ख) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि के;

(ग) निर्वाचकों के ;

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के; और

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें मतदान में अपनी सहायता प्रयोजन के लिए पीठासीन आफिसर समय-समय पर प्रवेश करने दे,

सिवाय, किसी व्यक्ति को मतदान के स्थान में नहीं रहने देगा।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के स्थान को, बन्द करने के लिए, यथास्थिति, नियम 7 के खण्ड (ख) के अधीन या नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा;

परन्तु उस स्थान के ऐसे बन्द किए जाने से पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे।

14. मतपत्र देने की प्रक्रिया– (1) मतदान के स्थान में मत देने के लिए हकदार निर्वाचको की अधिप्रमाणीकृत सूची या उसका भाग मतदान आफिसर को दी जायेगी या दिया जाएगा।

(2) निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने के ठीक उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न लगाया जायेगा, और उस सूची में यथादर्शित निर्वाचक के संख्यांक को मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज किया जायेगा।

(3) निर्वाचक सूची में अपना नाम मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप हस्ताक्षरित करेगा और तब, न कि उससे पूर्व मतपत्र उसे परिदत्त किया जाएगा।

15. कुछ परिस्थियों में नए मतपत्र का प्रदाय – (1) वह निर्वाचक, जिसमें अपने मतपत्र को अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन आफिसर को वह मतपत्र परिदत्त करके और अपनी अनवधानता के बारे में उस आफिसर का समाधान करके, ऐसे परिदत्त मतपत्र के स्थान में दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और उसके प्रतिपर्ण सहित पूर्वकथित मतपत्र पर पीठासीन आफिसर “रद्द” शब्द अंकित करेगा।

(2) ऐसे रद्द किए गए कोई मतपत्र इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे।

16. निर्वाचकों द्वारा उपयेग में न जाए गए मतपत्रों का लौटाया जाना — यदि निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने के लिए कोई मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है, तो वह पीठासीन आफिसर को मतपत्र लौटा देगा जो उस पर “ लौटाया गया और रद्द ” शब्द अंकित करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफाफे में रखेगा।

17. मतों को अभिलिखित करने की रीति — (1) हर निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होंगे जितने अभ्यर्थी हैं, किन्तु कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि ऐसे अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं।

(2) निर्वाचक अपना मत देने में, —

(क) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगा देगा ; और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों में अधिमान-क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान जिसे वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर, चिह्नित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण —इस उपनियम के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(3) पीठासीन आफिसर, उस दशा में जिसमें कि उससे निर्वाचक ऐसी प्रार्थना करे, उस निर्वाचक को वे अनुदेश समझाएगा जो मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र में अन्तर्विष्ट हैं।

18. निर्वाचकों द्वारा मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया — (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 14 के अधीन मतपत्र दिया गया है, मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक, मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) नियम 17 के उपनियम (2) के अनुसार, अपना मत अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा; और

(ङ) मतदान के स्थान से बाहर चला जाएगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

19. निरक्षर या निःशक्त निर्वाचक के मतों का अभिलिखित किया जाना — (1) यदि कोई निर्वाचक, निरक्षरता या अन्धेपन या उस भाषा से, जिसमें मतपत्र मुद्रित है, अनभिज्ञ होने के कारण अथवा किसी शारीरिक या अन्य निःशक्तता के कारण मतपत्र पढ़ने या नियम 17 के अनुसार उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करेगा।

(2) उसके बाद निर्वाचक मतपत्र को, या तो स्वयं या पीठासीन आफिसर की सहायता से इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डाल देगा।

(3) इस नियम के अधीन कार्य करते समय, पीठासीन आफिसर उतनी गोपनीयता बरतेगा जितनी सम्भव हो और प्रत्येक ऐसी घटना का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा, किन्तु उसमें वह रीति उपदर्शित नहीं करेगा जिसमें कोई मत डाला गया है।

20. मतपत्रों का लेखा – (1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्र लेखा, प्ररूप 6 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में बन्द करेगा और उसके ऊपर “मतपत्र लेखा” शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन आफिसर अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो ऐसी वांछा करे, मतपत्र लेखा में की गई प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति कर लेने की अनुज्ञा देगा और यह अनुप्रमाणित करेगा कि वह शुद्ध प्रति है।

21. मतदान के बन्द होने के पश्चात् मतपेटियों और कागजों का मुहरबन्द किया जाना – (1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में छेद तथा मतपेटी को बन्द और मुहरबन्द करेगा।

(2) वह –

(क) नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूची की प्रति को ;

(ख) मतपत्रों के प्रतिपणों को ;

(ग) नियम 15 और 16 के अधीन रद्द किए गए मतपत्रों को; और

(घ) उपयोग में न लाए गए मतपत्रों को,

पृथक्- पृथक् पैकेटों में बनाकर रखेगा और हर एक ऐसे पैकेट को अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उस पर अपनी मुहर लगाना चाहे, मुहरों से मुहरबन्द करेगा।

22. कुछ दशाओं में मतपेटियों से मतपत्र का अन्तरण – (1) निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न किसी मतदान के स्थान पर पीठासीन आफिसर को, नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि वह आफिसर नियम 21 के उपनियम (1) के अधिकथित प्रक्रिया के बजाय इस नियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् करें।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई निदेश दिया गया हो, वहां पीठासीन आफिसर, मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में मतपेटी को खोलेगा और उसमें अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों को, उनकी परीक्षा या गणना किए बिना, पृथक् लिफाफे में रखेगा और ऐसे लिफाफे पर, –

(क) मतदान के स्थान का नाम; और

(ख) मतदान की तारीख

अभिलिखित करेगा।

(3) ऐसे रखे जाने के पश्चात् वह अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो उपस्थित हों, मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें यह निदर्शित करेगा कि वह खाली है।

(4) उसके बाद वह लिफाफे को अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उन पर अपनी मुहरें लगाना चाहे, मुहरों से मुहरबन्द करेगा।

(5) ऐसे मुहरबन्द लिफाफे के बारे में, नियम 23, 25, 32 और 33 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह उस मतदान के स्थान पर उपयोग में लाई गई मतपेटी है और तदनुसार उन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

23. मतपेटियों और कागजों का प्रेषण और अभिरक्षा – (1) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न मतदान के हर स्थान का पीठासीन आफिसर, मतदान में उपयोग में लाई गई मुहरबन्द मतपेटी और पैकेटों और अन्य सब कागजपत्रों को ऐसे साधारण और विशेष अनुदेशों के अनुसार, जो निर्वाचन आयोग द्वारा उस निमित्त दिए जाए, रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण भिजवाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और पैकेटों और अन्य कागजपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, मतों की गणना प्रारम्भ होने तक, करने के लिए यथायोग्य इन्तजाम करेगा।

24. आपात में मतदान का स्थान – (1) यदि मतदान के किसी स्थान में बल्वे या खुलेआम हिंसा से कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा पड़ जाए या किसी ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं हो, तो पीठासीन आफिसर मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और तत्क्षण उन परिस्थितियों की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और उस दशा के सिवाय, जिसमें कि वह स्वयं रिटर्निंग आफिसर नहीं है; रिटर्निंग आफिसर को भी करेगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाना है तब, निर्वाचन आयोग यथाशक्य शीघ्र वह दिन जिसको, वह स्थान जिसमें और वह समय जिसके दौरान, स्थगित मतदान होगा, नियत करेगा और सब सम्बद्ध व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, उक्त ब्यौरे अधिसूचित करेगा।

(3) उस तारीख को जिसको ऐसा स्थगित मतदान होता है, ऐसे निर्वाचक, जो मतदान के स्थान से पूर्व अपना मत दे चुके हों, मत देने के हकदार नहीं होंगे, किन्तु केवल ऐसे शेष निर्वाचक, मतदान के स्थान से पूर्व मतदान के स्थान पर मत देने के हकदार थे, मत दे सकेंगे।

25. मतपेटियों के विनाश, आदि की दशा में नया मतदान – (1) यदि निर्वाचन में कोई मतपेटी पीठासीन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से विधिविरुद्धतया निकाल ली जाती है या किसी प्रकार उसमें गड़बड़ कर दी जाती है या विनष्ट कर दी या खो जाती है, तो उस मतदान के स्थान पर किए गए मतदान के बारे में, जहां मतपेटी उपयोग में लाई गई थी, यह समझा जायेगा कि वह दूषित हुआ है, और रिटर्निंग आफिसर यथासाध्य शीघ्रता से निर्वाचन आयोग को उस मामले की रिपोर्ट करेगा जो उस स्थान पर नया मतदान करने के लिए दिन नियत करेगा और वह समय नियत करेगा जिसके दौरान मतदान होगा।

(2) यथापूर्वोक्त हर दशा में इन नियमों के उपबन्ध नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू होते हैं।

26. निवारक विरोध के अधीन निर्वाचकों द्वारा मतदान – (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्वाचक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध में रखा गया हो, तो वह अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा।

(2) निर्वाचन आयोग उस जेल या अन्य स्थान के, जहां ऐसा निर्वाचक निरुद्ध है, भारसाधक आफिसर को समुचित मतपत्र, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन का प्ररूप तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवश्यक लिफाफों और एक अनुदेशपत्र के साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा जिससे कि वे मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व यथोचित समय पर उस आफिसर के पास पहुंच जाएं।

(3) मतदान की तारीख को उक्त आफिसर वह मतपत्र और अन्य आवश्यक कागजपत्र निर्वाचक को परिदत्त करेगा, उसे निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करने के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं और पर्याप्त समय, जो दो घंटे से अधिक नहीं होगा, अनुज्ञात करेगा, तथा यदि और जब निर्वाचक ने अपना मत वैसे अभिलिखित कर दिया हो तो तब, मतपत्र और अन्य संबंधित कागजपत्रों को मुहरबन्द लिफाफे में या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि वे नियम 27 के अधीन मतों की गणना के लिए नियत समय से पूर्व उसके पास पहुंच जाएं।

(4) हर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि यदि कोई निर्वाचक उस सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निवारक निरोध में रखे गए हैं, तो वह उनके नामों की सूचना, उनके निरोध के स्थानों के बारे में आवश्यक विशिष्टियों सहित, समुचित समय पर निर्वाचन आयोग को दे।

अध्याय 4

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

27. मतों की गणना के लिए स्थान और समय — मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में ऐसे दिन और ऐसे समय पर की जायेगी, जो निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, और निर्वाचन आयोग ऐसे नियत तारीख और समय की सूचना सब अभ्यर्थियों को देगा।

28. मतों की गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश — रिटर्निंग आफिसर —

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;

(ख) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक समय पर एक प्रतिनिधि के ;

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ सेवकों के ; और

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,

सिवाय, किसी व्यक्ति को मतों की गणना के लिए नियत स्थान में नहीं रहने देगा।

29. मतदान के लिए गोपनीयता बनाए रखना — रिटर्निंग आफिसर उपस्थित व्यक्तियों को धारा 22 के उपबन्ध गणना प्रारम्भ होने से पूर्व पढ़कर सुनाएगा।

30. राष्ट्रपतीय निर्वाचन में हर एक निर्वाचक के मतों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण — हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन के योजनों के लिए निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर को एक विवरण देगा जिसमें मतों की वह संख्या दर्शित होगी जो अनुच्छेद 55 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन हर निर्वाचक की है, और उस निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा दिये गये हर मतपत्र के बारे में यह समझा जायेगा कि वह उन मतों का प्रतिनिधित्व करता है जितनों के बारे में उस विवरण में यह दर्शित है कि वे उस निर्वाचन के हैं।

31. मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे — (1) वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर,—

(क) अंक 1 चिह्नित नहीं है ; या

(ख) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित है या ऐसा चिह्नित है कि उससे यह बात संदेहपूर्ण हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए आशयित है ; या

(ग) अंक 1 और कोई अन्य अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित है ; या

(घ) कोई ऐसा चिह्न लगाया हुआ है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है।

स्पष्टीकरण — इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किये जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(2) मतपत्र उस दशा में भी अविधिमान्य होगा जिसमें डाक मतपत्र होते हुए उस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं हैं।

32. हर एक मतपेटी के खोले जाने पर प्रक्रिया — हर एक मतपेटी के और नियम 26 के उपनियम (3) के अधीन प्राप्त हर एक मुहरबन्द लिफाफे (यदि कोई हो) के भी खोले जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर, —

(क) उन में से निकाले गए मतपत्रों की गणना करेगा और प्ररूप 6 में मतपत्र लेखा के भाग 2 को पूरा करेगा;

(ख) मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उनको जो उसकी राय में विधिमान्य हैं, उनसे पृथक् करेगा जो उसकी राय में अविधिमान्य हैं और पश्चात्कथित मतपत्रों पर “नामंजूर” शब्द और नामंजूरी का आधार पृष्ठांकित करेगा ; और

(ग) सब विधिमान्य मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा :

परन्तु यदि राष्ट्रपतीय निर्वाचन में किसी मतदान के स्थान में प्रयुक्त मतपेटी में ऐसे निर्वाचकों के मतपत्र हैं जिन्हें उनके अपने निवेदन पर उक्त मतदान के स्थान में मत डालने के लिए नियम 7 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई है, तो ऐसे मतपत्र गणना और प्ररूप 6 में अभिलेखन के पश्चात्, पृथक् कर लिए जाएंगे और एक ही प्रवर्ग के निर्वाचकों द्वारा प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य मतपत्रों के साथ मिला लिए जाएंगे और उसके पश्चात् उनकी संवीक्षा की जाएगी।

33. परिणाम का अवधारण — सब मतपेटियों और मुहरबन्द लिफाफों (यदि कोई हों) के खोले जाने और मतपत्रों की संवीक्षा और उनके क्रमबद्ध किये जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर इन नियमों की अनुसूची में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार मतदान के परिणाम का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा।

34. पुनर्गणना — जब रिटर्निंग आफिसर का किसी पूर्वतन गणना की शुद्धता के बारे में समाधान न हो, तब वह मतों की पुनर्गणना एक बार या एक से अधिक बार, या तो स्वप्रेरणा से या किसी अभ्यर्थी के या उस अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में उस अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के निवेदन पर कर सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से रिटर्निंग आफिसर के लिए यह बाध्यकर न हो जाएगी कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार करे।

35. परिणाम की घोषणा — (1) जब गणना समाप्त हो जाए और मतदान के परिणाम का अवधारण कर लिया जाए, तब रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण, —

(क) उपस्थित व्यक्तियों को परिणाम बताएगा ;

(ख) धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा ;

(ग) प्ररूप 7 में निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा ; और

(घ) विधिमान्य मतपत्रों और नामजूर मतपत्रों को पृथक्-पृथक् पैकेटों में मुहरबन्द करेगा और हर एक ऐसे पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन अभिलिखित करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग को प्रमाणित परिणाम की विवरणी प्रेषित करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

36. मतपेटियों और निर्वाचन कागजपत्रों की अभिरक्षा — निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और मतपत्रों के पैकेट और निर्वाचन से सम्बद्ध सब अन्य कागजपत्र निर्वाचन के पश्चात् ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

37. निर्वाचन कागजपत्रों का पेश करना और निरीक्षण — (1) मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हों या नामजूर, और उनके प्रतिपर्णों के पैकेट और नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूचियों के पैकेट उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन खोले जाने के सिवाय, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जाएंगे और न उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न उनके समक्ष पेश किए जाएंगे।

(2) निर्वाचन संबंधी अन्य सब कागजपत्र ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस, अदि कोई हो, दिए जाने पर, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, जनता के निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

38. निर्वाचन कागजपत्रों का व्ययन — नियम 37 में निर्दिष्ट पैकेट और अन्य कागजपत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उस दशा के सिवाय विनिष्ट कर दिए जाएंगे जिसमें कि उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल निदेश दिया गया हो।

39. निर्वाचन परिणाम की विवरणी की प्रतियां— नियम 35 में निर्दिष्ट निर्वाचन परिणाम की प्रमाणित विवरणी की प्रतियां, हर प्रति के लिए एक रूपया फीस दिए जाने पर, निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी।

40. निर्वाचकों की सूची—निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए क्रमशः अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची और अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धकृत पतों सहित, बनाए रखेगा।

41. निरसन — राष्ट्रपतीय निर्वाचन और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1952 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति* / उपराष्ट्रपति* पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं-----सूचना देता हूँ कि ----

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को -----नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो----- को उक्त कार्यालय में ----- के उपरान्त (लोक अवकाश-दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किये जा सकेंगे;
- (ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) हर अभ्यर्थी केवल दो हजार पांच सौ रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;
- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा----- (स्थान) में ----- (तारीख) को----- (बजे) की जाएगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में----- (तारीख) को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी ;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में ----- (तारीख) को ----- बजे और----- बजे के बीच होगा।

स्थान----- (हस्ताक्षर)-----
(रिटर्निंग आफिसर)

तारीख----- (पदाभिधान)-----

* यदि लागु न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में----- (अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह ----- राज्य में----- संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाण स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्य क्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्य क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

* आदि

* कम से कम दस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक निर्वाचित या राज्य विधान सभा	सभा सदस्य है	का राज्य सभा या विधान सभा	राज्य/ (किसी संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3			4	5	6

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

* आदि

* कम से कम दस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-----

तारीख-----

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं०-----

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में-----तारीख को-----
 (बजे) अभ्यर्थी / प्रस्थापक -----(नाम) / समर्थक----- (नाम) द्वारा नीचे
 यथा उपदर्शित संलग्नकों, जिनका ---

(1)

(2)

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया गया है :-

तारीख.....

_____ रितर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ड के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख.....

_____ रितर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं०-----

_____(नाम)
 का, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में----- (तारीख) को----- (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक----- (नाम)/समर्थक----- (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा----- (तारीख) को----- (बजे)----- (स्थान) में की जाएगी

[2 मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गये कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :-]

तारीख.....

_____ रितर्निंग आफिसर

[] यदि लागु न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 3

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम संसद् सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में-----

(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)

को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह ----- राज्य में-----संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। हम इसके नीचे यथा उपदर्शित अपनी पूरी विशिष्टियां देते हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सदस्य है या सभा	सभा का है या राज्य का	राज्य/संघ जहां से निर्वाचित हुआ	राज्यक्षेत्र	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
* आदि							

* कम से कम पांच निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ जहां से निर्वाचित हुआ	राज्यक्षेत्र	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
*						
आदि						

* कम से कम पांच निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-----

तारीख-----

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं०-----

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में-----तारीख को----- (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक ----- (नाम)/समर्थक----- (नाम)
द्वारा नीचे यथा उपदर्शित लगनकों, जिनका ---

(1)

(2)

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया गया है :-

तारीख.....

_____ रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ड के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख.....

_____ रिटर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं०-----

----- (नाम)
का जो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में----- (तारीख) को----- (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक----- (नाम)/समर्थक----- (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा----- (तारीख) को----- (बजे)----- (स्थान) में की जाएगी

[2 मैंने इस अभ्यर्थी क नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गये कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :-]

तारीख.....

_____ रिटर्निंग आफिसर

[] यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 4

(नियम 5 (1) देखिए)

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

प्रति

रिटर्निंग आफिसर,

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

.....(पता) का मैं,.....
(नाम) जो कि ऊपर कहे गये निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
 हूं, सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं।

स्थान.....
 तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण :- अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6(1) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक के द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है।

प्ररूप 5

(नियम 6 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान.....
 तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 6

(नियम 20 देखिए)

भाग 1 – मतपत्र लेखा

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

मतदान के स्थान का नाम.....

	क्रम संख्यांक		कुल संख्या
	से	तक	
1. प्राप्त मतपत्र			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र			
3. मतदाताओं को दिए गए मतपत्र			
4. रद्द किए गए मतपत्र			

तारीख.....

.....
पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2— गणना का फल

(नियम 32 देखिए)

(1) मतदान के स्थान में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....

(2) इस भाग में मद (1) के सामने यथादर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या में से भाग 1 की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बीच कोई अन्तर, यदि हो।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

(नियम 35 (1) (ग) देखिए)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम गणना में प्राप्त मत	प्रथम अपवर्जन में नाम में आकलित	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़	द्वितीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 5 और 6 का जोड़	तृतीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 7 और 8 का जोड़	चतुर्थ अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 9 और 10 का जोड़				
	निश्शेषित मत													
	जोड़													

.....मतों के सूचक विधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

.....मतों के सूचक अविधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

मैं घोषित करता हूं कि

(नाम).....

(पता).....

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचत हो गए हैं।

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर

(नियम 33 देखिए)

परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1. इस अनुसूची में —

(1) "बने रहने वाला अभ्यर्थी" पद से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है, जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं हुआ है ;

(2) "प्रथम अधिमान" पद से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाया गया अंक 1 अभिप्रेत है, इसी प्रकार "द्वितीय अधिमान" से अंक 2, "तृतीय अधिमान" से अंक 3 और इसी प्रकार आगे अभिप्रेत है ;

(3) "अगला उपलभ्य अधिमान" पद से, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए लगातार संख्या क्रम में अभिलिखित द्वितीय या पश्चात्पूर्वी अधिमान अभिप्रेत है, तत्पूर्व अपवर्जित किए जा चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानों को गिनती में नहीं लिया जाएगा ;

(4) "निश्शेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ;

(5) "निश्शेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु किसी पत्र को ऐसी दशा में निश्शेषित समझा जाएगा जिसमें कि ———

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं ; या

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बना रहने वाला हो या न हो ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक बाद का अंक नहीं है या दो अंको से चिह्नित है।

2. हर गणना में हर मतपत्र —

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नियम 30 के अधीन यथा अवधारित मतों की संख्या का; और

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, एक मत का,

सूचक है।

3. हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या आकलित कर दीजिए।

4. सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसे आकलित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

5. यदि पहली या किसी पश्चात्पूर्वी गणना के अन्त में किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतों की कुल संख्या कोटा के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

6. यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो —

(क) उस क्रम तक, मतों की सब से कम संख्या जिस अभ्यर्थी का नाम आकलित है उसे अपवर्जित कीजिए ;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में के सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप-पार्सलों में के अनिशेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए, हर एक उप-पार्सल में के अधिमान मतों की संख्या गिनिए और उस अभ्यर्थी के नाम आकलित कीजिए जिसके नाम ऐसा-अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निशेषित पत्रों का पृथक् उप-पार्सल बनाइए ; और

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अन्तरण और उसके नाम में किए गए आकलन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

जब कोई अभ्यर्थी ऊपर के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाता है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सब से कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लॉट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

ऊपर के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निशेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जायेगा।
